

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय
अतिथि शिक्षकों की सेवा से संबंधित आवश्यक सूचना।

राजकीय/राजकीयकृत /राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने हेतु अहर्ताप्राप्त हितबद्ध अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निदेशक,माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 234 दिनांक 26.04.2018 द्वारा निर्धारित समय तालिका के अनुसार विषयवार विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

(क) आवेदन पत्र प्राप्त करने से संबंधित समय तालिका :-

क्र०स०	गतिविधि	निर्धारित तिथि
1	विज्ञापन का प्रकाशन	21.05.2018
2	आवेदन प्राप्ति की तिथि	22.05.2018 से 04.06.2018
3	मेधासूची का प्रकाशन	09.06.2018
4	चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापन एवं विकल्प प्राप्त करना	10.06.2018 से 13.06.2018
5	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अतिथि शिक्षकों की सेवा विद्यालय को उपलब्ध कराना।	15.06.2018

जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय प्रधान को उपलब्ध करायी गई विषयवार चयनित अतिथि शिक्षकों की सूची के आलोक में विद्यालय प्रधान द्वारा संकल्प ज्ञापांक 51 दिनांक 25.01.2018 विभागीय पत्रांक 216 दिनांक 09.04.2018 द्वारा दिये गए निदेशों के आलोक में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण कर निदेशानुसार सेवा प्राप्त करने से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई किया जाना है।

(ख) आवेदन उपलब्ध कराने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश:-


विषयवार रिक्त पद के विरुद्ध अहर्ता यथा - शैक्षणिक योग्यता

- सभी विषयों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण प्रशिक्षित, एस0 टे0 पेपर - 2 में उत्तीर्ण, (2) विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण प्रशिक्षित, (3) सिर्फ गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र विषय के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ एम0टेक0 अथवा बी0टेक0 उत्तीर्ण।
- आयु सीमा - विभागीय निदेश के आलोक में निर्धारित आयु सीमा।
- आवेदन प्राप्ति स्थल/समय- विभाग द्वारा निर्धारित समय के आलोक में अतिथि शिक्षकों हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, बेगूसराय के पते पर निर्बंधित डाक/हाथों हाथ द्वारा उपलब्ध करायेगे। निर्धारित समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- अतिथि शिक्षकों की सेवा अस्थायी सेवा के रूप में ली जायेगी। रिक्त पद के विरुद्ध नियोजनोपरांत इन्हें सेवा मुक्त किया जायेगा।
- अहर्ता प्राप्त हितबद्ध अभ्यर्थियों का चयन विषयवार/कोटिवार रिक्त पद के विरुद्ध विभागीय निदेशानुसार किया जायेगा।
- सभी प्रकार की सूचनायें यथा मेधासूची का प्रकाशन चयनित सूची का प्रकाशन एवं विद्यालयों को अतिथि शिक्षकों की सेवा उपलब्ध कराने से संबंधित सूचना के साथ अन्य सूचना जिला के एन0आई0सी0 के वेबसाईट begusarai.nic.in एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के कार्यालय के सूचना पट के माध्यम से दी जायेगी।
- मेधा सूची एवं अन्य सूचनायें विभागीय निदेश/कार्यालय भूल/टंकण त्रुटि का संशोधन करने एवं वैसे अभ्यर्थी जिनकी अहर्ता विभागीय निर्देश के विपरीत होगी, उनकी अहर्ता रद्द करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

(ग.) विषयवार/कोटिवार रिक्त विवरणी

विभाग द्वारा जिला को उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु उपलब्ध कराये गए स्वीकृत पद के नियोजनोपरांत अवशेष पदों के विरुद्ध 35 प्रतिशत महिला का क्षैतिज आरक्षण के साथ रोस्टर समाशोधन के उपरांत विषयवार/कोटिवार रिक्तियाँ।

विषय	कुल रिक्त पद	अनारक्षित		अ0पि0व0		पि0वर्ग		अनु0जाति		अनु0जन जाति		पिछड़े वर्ग की महिला	कुल
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अंग्रेजी	13	5	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	13
गणित	10	3	2	1	1	1	0	1	1	0	0	0	10
भौतिकी	9	3	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	9
रसायन शास्त्र	8	3	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	8
प्राणी विज्ञान	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
वनस्पति शास्त्र	6	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	6
योग	49	17	9	6	4	5	1	5	2	0	0	0	49


 श्यामबाबू सिंह
 जिला शिक्षा पदाधिकारी
 बेगूसराय।
 17.05.18